वन अधिकार कानून, 2006 की मूलभूत बातें

हिमाचल प्रदेश सरकार

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.

"अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 व नियम 2008 व संशोधित नियम 2012", को संक्षिप्त में वन अधिकार कानून, 2006 (Forest Rights Act- FRA, 2006) के नाम से जाना जाता है।

2006

29/12/ 2006
भारतीय संसद द्वारा पारित वन अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति

2007

02/01/2007
जन सूचना हेतु वन अधिकार कानून भारत के राजपत्र में प्रकाशित

2008

01/01/2008
वन अधिकार नियम लागू

2012

06/09/2012
संशोधित वन अधिकार नियम लागू

किसको अधिकार?

वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति
[Forest Dwelling Scheduled Tribe- FDST]

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के सदस्य या समुदाय जो 13 दिस्म्बर 2005 से पहले से प्राथमिक रुप से वन भूमि पर निवास (भीतर या बाहर) करते हैं और अपनी आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिए वन या वन भूमि पर निर्भर हैं।

अन्य-परंपरागत वन निवासी
[Other Traditional Forest Dweller- OTFD]

अनुसूचित जनजाति को छोड़कर अन्य सभी श्रेणी के सदस्य या समुदाय जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढियों (75 साल) से प्राथमिक रुप से वन भूमि पर निवास (भीतर या बाहर) करते आ रहे हैं और अपनी आजीविका की वास्तविक जरूरतों के लिये वन या वन भूमि पर निर्भर हैं।

किस भूमि पर अधिकार?

किसी भी प्रकार की भूमि जो किसी भी वन क्षेत्र में पड़ती हो –

- अवर्गीकृत / अघोषित वन (अन्क्लासीफाइड फोरेस्ट)
- असिमांकित वन (UF)
- मौजूदा या समझे गये वन
- संरक्षित वनों (PF)
- आरक्षित वन (रिजर्व फोरेस्ट- RF)
- अभयारण्य (सैंक्चुअरी)
- राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क)

किस प्रकार के अधिकार?

वन या वन भूमि पर निम्न अधिकार:

व्यक्तिगत वन अधिकार

व्यक्तिगत या सामूहिक अधिभोग के अधीन वन भूमि पर निवास या आजीविका के लिए स्वयं खेती का अधिकार। ***नियम 12 क(8)*** के अनुसार स्वयं खेती के अधिकार में खेती से जुड़े कार्य - पशु रखने, पछोने, उत्पाद के भंडारण जैसे इस्तेमाल भी शामिल हैं।

सामुदायिक वन अधिकार

सामुदायिक उपयोग जैसे चराई, घास, लकड़ी देव स्थल, जड़ी बूटी आदि का अधिकार।

सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा एवं प्रबन्धन का अधिकार

वन संसाधनों कि सुरक्षा, प्रबंधन, संरक्षण व उन्हें पुनर्जीवित करने का अधिकार।

विकास का अधिकार

गांव स्तर पर 13 प्रकार की सरकार द्वारा संचालित विकास परियोजनाओं के लिए वन भूमि हस्तांतरण करने का अधिकार।

कानून से जुड़ी अन्य जरूरी बातें

बेदखली से सुरक्षा

जब तक वन अधिकारों के दावों की जांच और मान्यता की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति को उसकी अधिभोग की गयी वन भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता।
धारा 4(5)

संरक्षण का अधिकार

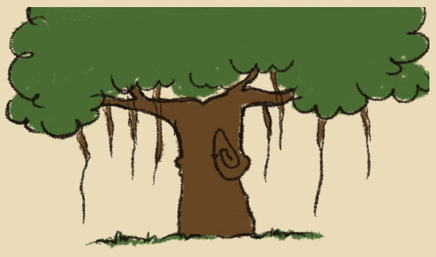

वन अधिकार क़ानून लोगों की वन भूमि पर आधारित आजीविका को सुरक्षा देने के साथ साथ ग्राम सभा को सामुदायिक वन संसाधनों की सुरक्षा, सरंक्षण एवं प्रबंधन का अधिकार एवं ज़िम्मेदारी भी देता है।
नियम 4(1)(ङ)

ग्राम सभा की NOC वन हस्तांतरण में अनिवार्य

किसी भी परियोजना में वन भूमि के हस्तांतरण से पहले वन अधिकार कानून के तहत अधिकारों को निहित करने व मान्यता देने की प्रक्रिया पूरी होना और इसके लिए ग्राम सभा में 50% प्रतिशत कोरम से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य है।
वन संरक्षण अधिनियम 1980 (संशोधित नियम 2017)

भूमि आवंटन का कानून नहीं

वन अधिकार कानून स्पष्ट है कि केवल उस वन भूमि पर वन अधिकार मान्यता पत्र/टाइटल मिलेगा जिस पर दावेदार का कब्ज़ा 13 दिसंबर 2005 से पहले का है और इस कानून में दिए गए बाकी प्रावधान के अनुसार पात्र है। वन अधिकार कानून भूमि आवंटन के लिए नहीं बना है।

कानून के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप ज़िम्मेदार विभागों और अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित प्रशिक्षण पुस्तिका देख सकते हैं।